



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर (राज.) 303329

फोन नं. 01425-254022 (का.), ई-मेल: dean.skncoa@sknau.ac.in

वेबसाइट: <https://skncoa.sknau.ac.in>



डॉ. एम. आर. चौधरी

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष (कृषि)

क्रमांक: एफ. ()/सी. एस./श्रीकनकृमवि/2025/972

दिनांक: 14.08.2025

कार्य-आदेश

M/s Namokar Trading Company

Renwal Road, Jobner, Jaipur,

Rajasthan, 302012

Mobile No. : 94601-90223

Email-ID : sudhirpatni652@gmail.com

विषय :- Supply of LED Road Lights 50 Watt & 100 Watt

संदर्भ:- सीमित निविदा क्रमांक सीएस (मुछाअ)/श्रीकनकृमवि/2025/892 दिनांक 05.08.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ में लेख है कि आपकी फर्म की माल की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन की दरे न्यूनतम पायी जाने एवं सीमित निविदा हेतु गठित उपापन समिति की सिफारिश एवं अधिष्ठाता द्वारा दर अनुमोदन आदेश उपरान्त आपको निम्नानुसार दरों पर श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के निम्नलिखित विभागों में सीमित निविदा की शर्तों के अनुसार माल की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन का कार्य-आदेश दिया जाता है।

S. No.	Item Description	Department Name	Qty	Amount/Item with GST	Total Amount with GST
1	LED Road Light 50 Watt with 3 foot pipe stand	Hostel Office	50	1550.00	77500.00
2	LED Road Light 100 Watt with 3 foot pipe stand	Hostel Office	50	2150.00	107500.00

नोट:- निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों के साथ RTTP अधिनियम 2012 एवं RTTP नियम 2013 पूर्ण रूप से लागू होकर सीमित निविदा के अनुसार RTTP नियम 2013 का नियम 29(ज) आप पर पूर्वतया प्रभावी रहेगा। महाविद्यालय एवं इसके विभागों के सामग्री आपूर्ति का कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

1.	माल की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन का कार्य	कार्य आदेश की दिनांक से 10 दिवस में
2.	बिल:	अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के नाम से तीन प्रतियों में

शास्ति: विलम्ब से आपूर्ति पर निम्न प्रकार से शास्ति वसूली जायेगी:-

Penalty: Penalty will be collected on late supply in the following manner:-

अ	निर्धारित अवधि से 1/4 अवधि विलम्ब पर Delay up to one-fourth period of the prescribed delivery period	2.5%
ब	1/4 अवधि से अधिक आधी अवधि तक विलम्ब पर	05%

	Delay exceeding one-fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period	
स.	1/2 अवधि से अधिक तीन चौथाई तक अवधि विलम्ब पर Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period	7.5%
द.	3/4 अवधि विलम्ब होने पर Delay exceeding three-fourth of the prescribed period	10%

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. मुख्य छात्रावास अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सामान के प्राप्त बिलों को कार्यालय के भण्डार पंजिका में इन्द्राज एवं तकनीकी रूप से प्रमाणित कर अधिष्ठाता कार्यालय में भुगतान हेतु प्रेषित करवाने का श्रम करावें।
3. संयोजक एवं सदस्य, निविदा समिति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
4. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
6. अनुभाग अधिकारी, लेखाशाखा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
7. इंचार्ज सिमका, को भेजकर लेख है कि इसको विश्वविद्यालय पोर्टल एवं sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
8. निविदा पत्रावली।

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष